न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 28/2022

ी :
देवी पुत्री श्री मांगूसिंह,
राजपुरोहित, निवासी जाटावास तहसील रियांबडी, जिला नागौर

र्थीगण :
1. ताराचन्द पुत्र श्री मांगूसिंह
2. महेन्द्र पुत्र सीतादेवी पुत्री मांगूसिंह हाल निवासी बोरावड तहसील परबतसर
3. मुकेश पुत्र सीतादेवी पुत्री मांगूसिंह
4. भूपेश पुत्र सीतादेवी पुत्री मांगूसिंह
5. अशोक पुत्र सीतादेवी पुत्री मांगूसिंह
   जातियान राजपुरोहित, निवासीगण जाटावास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी
7. पटवारी हल्का, जाटावास
8. उप पंजीयक, रियांबड़ी

र्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक– 20/8/24

निर्णय

मान जी, प्रार्थीनी निम्न प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करती है :–

यह है कि प्रार्थीनी ने अनुवान सदर का एक वाद श्रीमान जी के न्यायालय में पेश किया है, जो बहुत ही जबूत बिनाय पर है, जिसमें प्रार्थनी को कामयावी मिलने की पूरी–पूरी आशा है।

यह है कि प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 हिन्दू है और हिन्दू मिताक्षरा शाखा से गवर्न होते है। सभी . शोभसिंह जी के वारिसान है। जिनका सिजरा खानदान निम्न प्रकार है :

सिंह

फौत)

मंगुसिंह

(फौत)

प्रेमदेवी (पत्नि)	ताराचंद	गीतादेवी	सीतादेवी
(फौत)	पुत्र	पुत्री	पुत्री (फौत)

महेन्द्र	मुकेश	भूपेश	अशोक
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला-नागौर

यह है कि मौजा खेड़ा धुणावाला की सरहद में खेत खसरा नं. 131 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 135 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नं. 8 रकबा 0.0900 हैक्टेयर रकबा 0.3700 हैक्टेयर में से 1/12 व 1/24 हिस्सा, खसरा नं. 123 रकबा 1.5300 हैक्टेयर, खसरा 124 रकबा 2.7200 हैक्टेयर, खसरा नं. 125 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नं. 126 रकबा 1.4700 क्टेयर, खसरा नं. 132 रकबा 6.8800 हैक्टेयर कुल रकबा 14.2000 हैक्टेयर में से 129/1420 व 37/710 स्सा तथा मौजा जाटावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 71 रकबा 0.0500 हेक्टेयर में से 1/12 व /24 हिस्सा, खसरा नं. 439 रकबा 0.0600 हैक्टेयर में से 1/12 व 1/24 हिस्सा, खसरा नं. 72 रकबा 300 हैक्टेयर, खसरा नं. 73 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 75 रकवा 4.3400 हैक्टेयर कुल रकबा 900 हैक्टेयर में से 1/12 व 1/24 हिस्सा की भूमि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की संयुक्त श्त व कब्जासुद स्थित है। उक्त खसरा की भूमि प्रार्थना पत्र में आगे विवादित खसरा के नाम से बोधित की जायेगी ।

यह है कि वादग्रस्त खसरा की भूमि पूर्व में प्रार्थीनी के दादा व पिता शोभसिंह व मांगूसिंह नेनूराम की तेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। उनके स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरा की भूमि प्रार्थीनी व अप्रार्थी 1 तथा अप्रार्थीगण सं. 2 से 5 की माता सीतादेवी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सीतादेवी का स्वर्गवास चुका है। जिसके वारिसान अप्रार्थीगण सं. 2 से 5 है। मगर अप्रार्थी सं. 1 ने राजस्व कर्मचारियों से लावट करके मांगूसिंह जी के उत्तराधिकारी केवल अपने आपको बताकर अपने नाम फौतगी नामांतरकरण कार करवा लिया। जबकि उक्त भूमि प्रार्थीनी की पैतक सम्पति है तथा इस भूमि में प्रार्थीनी को जन्म से हक व अधिकार है। वादग्रस्त खसरा की भूमि प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 की पैतृक भूमि है। दग्रस्त खसरा की भूमि में प्रार्थीनी व अप्रार्थगण सं. 1 से 5 का संयुक्त काश्त व कब्जा है तथा वादग्रस्त सरा में प्रार्थीनी व अप्रार्थी सं. 1 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण सं. 2 से 5 का 1/3 स्सा संयुक्त काश्त व कब्जासुद है।

यह है कि वादगस्त खसरा की खातेदारी में अप्रार्थी सं. 1 व शोभसिंह के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है, गर मौके पर प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 का ही संयुक्त रूप से काश्त व कब्जा है। मगर प्रार्थीनी अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के मध्य वादग्रस्त खसरा की भूमि का बंटवाड़ा अभी बाई मीटस एण्ड बाउण्डस हीं हुआ है।

यह है कि वादग्रस्त खसरा प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के पैतृक भूमि है। जिसमें प्रार्थीनी व प्रार्थीगण सं. 1 से 5 का शामलाती रूप से हक व अधिकार है तथा वादग्रस्त खसरा की भूमि में प्रार्थीनी अप्रार्थी सं. 1 प्रत्येक का 1/3–/,3 हिस्सा तथा अप्रार्थगण सं. 2 से 5 का 1/3 हिस्सा संयुक्त काश्त व कब्जासुद है तथा इसी अनुसार सहूलियत से काश्त व काबिज है। जिससे प्राथीनी यह खातेदारी का घोषणा का वाद पेश कर खातेदारी घोषणा इस अमर की करवाने की अधिकारी है कि वादग्रस्त खसरा की भूमि में प्रार्थीनी व अप्रार्थी सं. 1 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण सं. 2 से 5 का 1/3 हिस्सा संयुंक्त खातेदारी का काश्त व कब्जासुद है।

यह है कि वादग्रस्त खसरा में प्रार्थीनी व अप्रार्थी सं. 1 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण सं. 2 से 5 का 1/3 हिस्सा बिना बंटा हुआ शामलाती काश्त व कब्जासुद आया हुआ है। मगर वादग्रस्त खसरा का बंटवाड़ा प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस नहीं हो रखा है।

8.यह है कि विवादित खसरा की खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज होने से अप्रार्थगण की नियत में फर्क आ गया है और अप्रार्थीगण अन्य लोगों से मिलावट करके वादग्रस्त खसरा के विशेष भू–भाग का बेचान व हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त कर कब्जा करना चाहते है तथा प्रार्थीनी को वादग्रस्त खसरा की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा प्रार्थनी को काश्त नहीं करने दे रहे है। यदि अप्रार्थगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थीनी को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र हाजा प्रस्तुत है।

9.यह है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में बहुत ही मजबूत है। वादग्रस्त खसरा की भूमि प्रार्थनी की संयुक्त काश्त व कब्जासुद है। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है तथा अप्रार्थगण उक्त गलत एक्ट से प्रार्थनी को अपूर्णीय क्षति हो रही है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीनी के खिलाफ अप्रार्थगण इस आशय की जारी की जावें कि मौजा खेड़ा वाला की सरहद में खेत खसरा नं. 131 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नं. 133 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, रा नं. 135 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नं. 8 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर बा में से 1/12 व 1/24 हिस्सा, ख नं 123 रकबा 1.5300 हैक्टेयर, खसरा 124 रकबा 2.7200 टेयर खसरा नं. 125 रकबा 1.6000 हैक्टेयर, खसरा नं. 126 रकबा 1.4700 हैक्टेयर, खसरा नं. 132 बा 6.8800 हैक्टेयर कुल रकबा 14.2000 हैक्टेयर में से 129/1420 व 37/710 हिस्सा तथा मौजा टावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 71 रकबा 0.0500 हैक्टेयर में से 1/12 व 1/24 हिस्सा, सरा नं. 439 रकबा 0.0600 हैक्टेयर में से 1/12 व 1/24 हिस्सा, खसरा नं. 72 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, सरा नं. 73 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा न. 75 रकबा 4.3400 हैक्टेयर कुल रकबा 4.3900 हैक्टेयर में 1/12 व 1/24 हिस्सा में प्रार्थीनी के संयुक्त काश्त व कब्जा में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल व स्तअंदाजी न तो स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करवावें तथा उक्त खसरा की भूमि का बेचान व स्तान्तरण किसी को भी किसी भी रूप में न तो स्वयं करें, न ही किसी अन्य से करवावे तथा अप्रार्थीगण . 6 व 7 राजस्व रेकर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें तथा अप्रार्थी सं. 8 अपने कार्यालय में वादग्रस्त सरान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अन्तरण दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें।

प्रार्थीनी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। एकपक्षीय बहस सुनी गई। दिनांक 31.01.22 को आगामी आदेश राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया। नोटिस अप्रार्थीगण को जारी कर पत्रावली आगामी तारीख को पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि सभी एक ही परिवार सदस्य है। परन्तु जवाब देहिन्दा विवादित आराजी ग्राम खेडा धुणावाला व जाटावास की सरहद मे स्थित जो केवल जबाबदेहिन्दा अकेले की खातेदारी मे स्थित है जिस पर अकेले अप्रार्थीगण जबाब देहिन्दा का काश्त व कब्जा चला आ रहा है जिस पर जबाब देहिन्दा के अलावा अन्य किसी का कोई काश्त व ब्जा नही है । इसलिए प्रार्थीनी द्वारा यह कहना गलत है कि विवादित आराजी प्रार्थनी की सयुंक्त ातेदारी की सयुंक्त काश्त व कब्जासुद है। इस विवादित आराजी मे प्रार्थीनी का कोई काश्त व कब्जा नही । प्रार्थीनी की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है। विवाद मायरा भात भरा जिसमे गहने व आभूषण दिये व सन् 005 से पूर्व पुत्री का पिता की संपति मे कोई हक नही था। इसलिये फौतगी नामांतरण मे नाम नही भरा या। प्रार्थीनी ने सहमति बंटवाडा घोषणा के वाद में राजीनामा भी पेश किया जो श्रीमान के न्यायालय में ुए थे। प्रार्थीनी अपने कथन से पाबंद है। इसलिये यह वाद नही ला सकती है। जिससे प्रार्थीनी का प्रार्थना त्र खारीज फरमाया जावे। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब प्रार्थना पत्र का कोई खंडन नही किया जिससे साबित है कि प्रार्थीनी पूर्व में न्यायालय हाजा में अपनी सहमति जाहिर की एवं अकेले अप्रार्थी का हक होना स्वीकार किया है। इस प्रकार एकबार व्यक्ति अपने कथन करने से वापिस मुकर नही सकता है। जिससे प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया । अउपरोक्त वादग्रस्त खसरान में र्थिनी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का के विरूद्व ही अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है जो उचित नही है। इसलिये प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 31.01.2022 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/8/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियाबडी
रियाबडी
जिला–नागौर